

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 216 से 218 /इंदौर /2018

निर्धारण वर्ष : 2008-09,2010-11 तथा 2011-12

पूजा सोया इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 3 (1), इंदौर संयुक्त आयकर आयुक्त रेज 3, इंदौर आयकर उपायुक्त 3 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएईसीपी 0192 आर		

अपीलार्थी की ओर से	श्री हर्ष विजयवर्गीय, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री वी.जे.बोरिचा, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	21.01.2019
उद्घोषणा तिथि	22.01.2019

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2008-09,2010-11 तथा 2011-12 के लिए निर्धारिती द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के अलग-अलग आदेशों सभी दिनांक 26.12.2017 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा जारी सुनवाई नोटिस निर्धारिती को प्राप्त नहीं हुआ था । अतः वह विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो पाया

था । अतः यह स्पष्ट है कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किये थे । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनों पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पारित नहीं किये थे जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । ये अपीलें निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

आदेश 22.01.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(कुल भारत)

न्यायिक सदस्य

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 22.01.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,
गार्ड फ़ाइल